परामर्श सं 9

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों मे
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

फा. सं . ए- 1 1018/01/ 2O21-सी ए क्यू एम/35 दिनांक: 28 .06.2023

आयोग की ओर से परामर्श

विषय: एनसीआर में डीजी सेट के उपयोग के लिए विनियम।

महोदय,

जैसा कि अन्य योगदानकर्ताओं के बीच, अच्छी तरह से स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान कारक डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट का अनियंत्रित प्रयोग है|

2. वर्ष 2022 की शीत ऋतु तक, एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, आयोग ने अपने दिनांक O8.02.2O22 के निर्देश संख्या 54-57 के तहत, आम तौर पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत एनसीआर में डीजी सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए यह भी विवरण दिया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत लगाये गए प्रतिबंध की अवधि के दौरान निम्नलिखित आपातकालीन उद्देश्यों/सेवाओं के लिए डीजी सेट का उपयोग किया जा सकता है:

(i) विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट / एस्केलेटर / ट्रैवलेटर आदि।

(ii) चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) इसमें जीवन रक्षक चिकित्सा के निर्माण में शामिल इकाइयाँ उपकरण/यंत्र, औषधियाँ शामिल हैं|

(iii) रेलवे सेवाएँ/रेलवे स्टेशन'

(iv) मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमआरटीएस सेवाएं, जिनमें ट्रेनें और स्टेशन. शामिल हैं |

(v) हवाई अड्डे और अंतर-राज्य बस टर्मिनल (आईएसबीटी)।

(vi) सीवेज उपचार संयंत्र।

(vii) जल पम्पिंग स्टेशन।

(viii) राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित परियोजनाएं ।

(ix) दूरसंचार और आईटी/डेटा सेवाओं में शामिल संस्थाएं।

3. डीजी सेट से होने वाले उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को कम करने के मामले में सीमित प्रौद्योगिकियां/उपकरण उपलब्ध होने के कारण उपर्युक्त विधान /छूट दी गई जिससे आवश्यक सेवाओं में अवरोध न हो |

4. इस अवधि के दौरान, विस्तृत तकनीकी विचार-विमर्श के माध्यम से और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके, आयोग ने डीजी सेट के उपयोग से उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने का साधन विकसित किया जिसके तहत मौजूदा डीजी सेटों का दोहरे ईंधन मोड (गैस + डीजल) में परिवर्तन और पीएम स्तर को काफी हद तक कम करने के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों का रेट्रो-फिटमेंट आदि है | इसके बाद से आयोग ने समय-समय पर इस संबंध में विभिन्न निर्देश अर्थात. निर्देश संख्या 68 दिनांक 14.09.2022 सहित आदेश एवं निर्देश संख्या 71 दिनांक 09.O2.2O23 जारी किए |

5. डीजी सेट से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के मामले की व्यापक समीक्षा करने के पश्चात् सभी मौजूदा निर्देशों/आदेशों/दिशानिर्देशों के संशोधन में डीजी सेट के लिए विनियम, आयोग ने दिनांक 02.06.2023 के निर्देश संख्या 73 के माध्यम से डीजी सेट के विनियमित संचालन के लिए एक संशोधित अनुसूची जारी की गई| जो कि एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठान सहित सभी क्षेत्रों में पूरे एनसीआर में दिनांक 01. 10.2023 से कड़ाई से लागू होंगे |

6. तदनुसार यह भी निर्देशित किया गया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दोहरी ईंधन किटों का रेट्रो-फिटमेंट या ईसीडी 30.09.2023 तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है | अन्यथा डीजल जेनसेट के उपयोग के लिए पूरे एनसीआर में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें आवश्यक सेवाओं आदि में उपयोग शामिल है।

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह निर्देश भी दिया गया है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो दोहरे इंधन मोड में और ईसीडी का रेट्रो-फिटमेंट पूरी तरह से एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठान आदि में अनिवार्यत: 30.09.2023 तक लगाया जाये, जैसे:

(i) दोहरी ईंधन किट के लिए कई एजेंसियां/आपूर्तिकर्ता हैं, डीजी सेट के कुछ ओईएम भी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

(ii) अब तक, एनसीआर में प्रमुख आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्र पीएनजी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति की पहुंच है | यहां तक कि जहां एक समर्पित गैस की आपूर्ति संभव/व्यवहार्य नहीं हो सकती है, गैस की उपलब्धता कैस्केड/सिलेंडर के माध्यम से एक सुविधाजनक विकल्प है।

(iii) प्रमाणित एजेंसियां अब 125 - 500 किलोवाट की क्षमता सीमा में डीजी सेट में आरईसीडी के लिए उपलब्ध हैं । डीजी सेट के लिए आरईसीडी का प्रमाणीकरण क्षमता रेंज 500 - 8O0 किलोवाट और इसके बीच जल्दी से उपलब्ध होने की उम्मीद है और जुलाई से सितंबर, 2023 तक रेट्रो-फिटमेंट के लिए योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय होगा|

8. उपरोक्त दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये जिसमे विज्ञापन रेडियो जिंगल, संघों आदि के साथ बातचीत शामिल है विशेष रूप से उपरोक्त पैरा 2 में सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए उन आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं का विवरण देना जिनके लिए डीजी सेट (यहां तक कि बिना किसी उत्सर्जन नियंत्रण और प्रदूषण निवारण उपायों के) GRAP के तहत प्रतिबंध की अवधि के

दौरान संचालन की अनुमति थी। **अस्पतालों, आवासीय/कार्यालय परिसरों, वाणिज्यिक संस्थाओं आदि मामले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है |**

9. जीएनसीटीडी/एनसीआर राज्य सरकारों में सभी संबंधित एजेंसियां/विभागों को भी सलाह दी जा सकती है कि इन दिशानिर्देशों को प्रसारित करने के लिए और इस संबंध में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए उचित कार्रवाई करें |

हस्ता०.
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :
1. अध्यक्ष, डीपीसीसी
2. अध्यक्ष, एचएसपीसीबी
3. अध्यक्ष, आरएसपीसीबी
4. अध्यक्ष, यूपीपीसीबी

प्रतिलिपि :
मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
अध्यक्ष, सीपीसीबी.
अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीएक्यूएम।.

हस्ता०.
(सदस्य सचिव
अरविंद नौटियाल)